न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या : 28/2015

दिनेश कुमार पुत्र गजानन्द जाति धाकड निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री रामरतन गोचर

दायरा दिनांकः 08.04.2015

निर्णय दिनांक : 16.11.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा की सिवायचक आराजी खसरा नं0 711 रकबा 0.79 है0 किस्म बंजड आराजी पर सम्वत 2047 से अभी तक काबिज काश्त है वादी उक्त आराजी का जुर्माना जमा करवाता आ रहा है। तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सम्वत 2047 से अब तक सिवायचक भूमि का जुर्माना जमा करने के कारण वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी खसरा नं0 711 किस्म बंजड रकबा 0.79 है0 आराजी की नियमन राशी जमा करवाना चाहता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिकी फरमायी जावें कि ग्राम किशनपुरा में स्थित खसरा नं0 711 रकबा 0.79 है0 भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.04.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा दिनांक 15.11.2018 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अवगत करवाया किः—

1. बिन्दू सं0 1 स्वीकार है।
2. बिन्दू सं0 2 आंशिक स्वीकार है।
3. बिन्दू सं0 3 वादी की पारिवारिक जानकारी संबंधी है जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
4. बिन्दु नं0 4 अस्वीकार है। वादी का सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण होना स्वीकार है तथापि वादी को विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होना अस्वीकार है।

5. बिन्दु नं0 5 रेकार्डेड होने से स्वीकार है।
6. बिन्दु नं0 6 आंशिक रेकार्डेड तथ्य स्वीकार है। शेष कथन वादी द्वारा उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार की घोषणा बाबत अधिकारी होना विधिक रूप से अस्वीकार है।
7. बिन्दु सं0 7, 8 व 9 रेकॉर्डेड व कानूनी तथ्य होने से स्वीकार है।

विशेष निवेदनः–

यह है कि वर्तमान में ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 711 रकबा 0.79 है0 किस्म सिवायचक खाते में नहरी प्रथम राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिस पर पत्रावली में संलग्न नकल खसरा परिवर्तनशील (पी–14) सम्वत 2047 लगायत 2070 तक वादी दिनेश कुमार पुत्र गजानन्द धाकड निवासी किशनपुरा का अवैध रूप से अतिक्रमण काश्त होना दर्शाया है। और इसी अतिक्रमण/देरीना प्रतिकूल कब्जे काश्त (एडवर्स पजेशन) के आधार पर दिये जाने खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व [illegible] खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से राजकीय भूमि जो वर्तमान में मुताबिक राजस्व रेकार्ड नहरी प्रथम किस्म की भूमि है उस पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर लाया है अतः उक्त वाद उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में अविलम्ब राजहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल के प्रकाश में वादी केवल कब्जे के आधार पर आराजी ग्राम किशनपुरा की सिवायचक आराजी खसरा नं0 711 रकबा 0.79 है0 किस्म बंजड जो वर्तमान में सिवायचक खाते में किस्म नहरी प्रथम दर्ज है को खाते दर्ज करवाना चाहता है परन्तु इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 आर0टी0एक्ट0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना